

COVID-19  
MOST URGENT

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग  
(COVID-19 CELL)

—आदेश—

COVID-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु घोषित LOCKDOWN में हजारीबाग जिला के विभिन्न व्यक्तियों को Quarantine में रखा गया है। हजारीबाग जिला के Quarantine Centre में रखे गये व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

हजारीबाग जिला में वैसे व्यक्ति जो वर्तमान में बाहर से आ रहे हैं, द्वारा होटल में रहने की इच्छा व्यक्त करने पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी भुगतान के आधार पर, उन्हें जिला में अवस्थित होटलों में (पूर्व से Isolation केन्द्र हेतु चिन्हित होटलों को छोड़कर) Quarantine में रहने की अनुमति प्रदान करेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी इन शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान करेंगे :-

1. संबंधित व्यक्ति के हाथ पर Quarantine की अवधि से संबंधित जानकारी अंकित करते हुए Paid Quarantine Centre में उनके सम्पूर्ण Travel History के साथ उन्हें भेजा जाय।
2. इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संदर्भ में दिये गये सभी निर्देशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,  
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-अध्यक्ष,  
जिला स्तरीय समन्वय समिति, हजारीबाग

- ज्ञापांक...1057.../COVID हजारीबाग, दिनांक- 31 मार्च, 2020
- प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हजारीबाग एवं अंचल अधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अस्त्रैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर/ बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : वरी प्रभारी पदाधिकारी, Quarantine Cell को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,  
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-अध्यक्ष,  
जिला स्तरीय समन्वय समिति, हजारीबाग